रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 118] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 1987/फाल्गुन 22, 1908
No. 118] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 1987/PHALGUNA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय

(श्रम प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1987

अधिसूचना

का. आ. 212 (अ):—गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9वां) की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कांडला अपंजीकृत गोदी कर्मचारी (रोजगार विनियम) स्कीम, 1968 को बदलने हेतु एक स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप उक्त उपधारा में यथापेक्षित व्यवस्था के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, यहां प्रकाशित

किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त प्रारूप इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45वें दिन की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा।

2. उक्त अवधि में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

स्कीम का प्रारूप

1. (1) लघु शीर्ष व प्रारम्भ.—इस स्कीम का नाम कांडला अपंजीकृत गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियम) प्रतिसंहरण स्कीम, 1987 है।

(2) यह इसके सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

2. स्कीम का प्रतिसंहरण कांडला अपंजीकृत गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियम) स्कीम, 1987 का एतद्द्वारा प्रतिसंहरण किया जाता है।

[फाइल संख्या एलडब्ल्यू–13013/7/86–एल–IV]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Labour Division)

New Delhi, the 13th March, 1987

NOTIFICATION

S.O. 212(E).—The following draft of a scheme to revoke the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after expiry of a period of 45 days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

2. Any objection|suggestion which may be received from any person within the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. (1) Short title and commencement.—This Scheme may be called the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Revocation Scheme, 1987.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. Revocation of Scheme.—The Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 is hereby revoked.

[F. No. LB-13013|7|86-L.IV]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987